

09-12-17

हरि राम



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

पन्नावली पेशहुई। प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी उपस्थित
 अप्रार्थी की ओर से पॅरोवाररत्न नाथव तहसीलदार
 चूरु ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थन पत्र पेश किया
 जो शामिल मिसल रहे। अप्रार्थी ने अपने जवाब में
 प्रार्थी हरिराम पुत्र गंगाराम वादगत कृषि क्षेत्र खण्ड
 262, 266 रोदी ग्राम खण्डका पट्टा चूरु में हरुराम पुत्र
 गंगाराम अंजित बलापे हुए कथन किया है कि यदि
 प्रार्थी का नाम हरुराम पुत्र गंगाराम ने स्थान पर
 हरिराम पुत्र गंगाराम किया जाता है तो अप्रार्थन की
 है क्यों कि इससे कृषि की प्रकृति पर विपरीत प्रभाव
 नहीं पड़ता है। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी
 की ओर से इकवालिया जवाब पेश हो चुका है इसलिए
 पन्नावली पर पेश दस्तावेजात के आधार पर वादगत कृषि
 क्षेत्र में प्रार्थी का नाम हरुराम पुत्र गंगाराम की जगह
 हरिराम पुत्र गंगाराम अंजित करने का आदेश प्रदान
 फरमावे। पन्नावली एवं पेश दस्तावेजात का अनलोकन किया
 जाकर प्रार्थी का प्रार्थन पत्र उचित होने से लोक अदालत
 की भावना से स्वीकार किया जाता है। निम्न आदेश
 पृथक से लिखा जाकर लोक अदालत में सुनाया गया।
 संलग्न मिसल रहे। मिसल फंसल शुभा हेमनन्दा से बमले
 व जाबरा दागील दस्तुत हो।

उपखण्ड अधिकारी